BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 05 अक्टूबर, 2025 **थाना – छतारी**

पेट्रोल पंप पर फर्जी पैमेन्ट दिखाकर डीजल खरीदने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 टेम्पों, 02 फोन, 7500/- रुपये एवं चोरी किया 100 लीटर डीजल बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.10.2025 को थाना छतारी पुलिस द्वारा ग्राम बरखेड़ा के पास से 03 शातिर चोरों को 01 टेम्पों घटना में प्रयुक्त, 02 फोन, 7500/- रुपये नकद एवं चोरी किया 100 लीटर डीजल सहित गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा दिनांक 04.10.2025 को थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत BPCL पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पैमेंट का फर्जी फोटो एवं मैसेज दिखाकर डीजल खरीदा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं0-389/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. गौरव पुत्र राजीव निवासी ग्राम धौरऊ थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. अनुराग पुत्र संजीव निवासी ग्राम धौरऊ थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. पिंका पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम सराय हरनारायण थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1. 01 टेम्पों घटना में प्रयुक्त (UP81 CT 8361)
2. 02 मोबाइल फोन
3. 7500/- रुपये नकद
4. 100 लीटर डीजल (चोरी किया)

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना छतारी पर मुअसं- 389/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास:-

1. मुअसं- 409/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 389/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त अनुराग का आपराधिक इतिहास:-

1. मुअसं- 389/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त पिंका का आपराधिक इतिहास:-

1. मुअसं- 389/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री सन्दीप कुमार थानाध्यक्ष छतारी
2. उ0नि0 विशाल प्रताप, का0 गुड्डू चौधरी, का0 हेमन्त कुमार।

मीडिया सैल बुलन्दशहर